

[भारत के राजपत्र ,असाधारण ,भाग ,2 खंड ,3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना  
सं. 22/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली ,तारीख 08 अक्टूबर2024 ,

का.आ...(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, जिसका पालन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा किया जाना है, जिनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16की उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्ययका गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि की गई है, किंतु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की गई है, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्:-

2. उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन फाईल करेगा, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार अब उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है।

3. उक्त व्यक्ति, उक्त आवेदन के साथ, इस अधिसूचना के **उपाबंध क** में दिए गए प्रारूप में जानकारी अपलोड करेगा।

4. उक्त आदेश के सुधार को लागू करने के लिए उचित अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उक्त आवेदन की तारीख से, जहां तक संभव हो, तीन महीने की अवधि के भीतर सुधारा हुआ आदेश जारी करेगा।

5. जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है, उक्त प्राधिकारी ने उसका सुधारित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा –

(i) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है; और

(ii) प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है।

6. सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जो की कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन कर गलत रीति से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है।

7. जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

## उपाबंध क

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के अधीन अधिसूचित आदेश के सुधार के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्ररूप

1. आधारभूत ब्यौरे :

(क) जीएसटीआईएन :

(ख) विधिक नाम :

(ग) व्यापार का नाम, यदि कोई हो :

(घ) आदेश जिसके संबंध में सुधार का आवेदन फाईल किया गया है :

(1) आदेश संदर्भ संख्यांक :

(2) आदेश तारीख :

2. उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

3. उपरोक्त क्रम संख्यांक 2 की सारणी में उल्लिखित रकम में से :

(क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (उक्त अधिनियम) की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे जो अब धारा 16 की उपधारा (5) के अनुसार पात्र है :

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	कुल							

और/या

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय के उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे, उपरोक्त (क) में उल्लिखित से भिन्न, जो अब धारा 16 की उपधारा (6) के अनुसार पात्र है :

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

#### 4. घोषणा:

1. मैं वचन देता हूँ / देती हूँ कि, उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के अधीन कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसके विरुद्ध यह सुधार आवेदन फाईल किया गया है।
2. मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना सही और सत्य है। मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि किसी भी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और बकाया शोध्यों के साथ लागू ब्याज और शास्तियों के लिए वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

#### 5. सत्यापन

मैं .....(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम), घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि किसी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन शून्य हो जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम/पदनाम  
ईमेल पता  
मोबाईल नं.

[सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)  
निदेशक